नीति विषयक पत्र सं. आर बी/सी ई/18/2003

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 2003/सी इ I/सी टी/5 पार्ट I

नई दिल्ली, दिनांक : 31.12.03

सभी महाप्रबंधक एवं अन्य,
संलग्न सूची 'ए' के अनुसार,

विषय : माध्यस्थम संबंधी मामलों का निपटान
संदर्भ : बोर्ड का 2.7.2003 का समसंख्यक पत्र

पुराने जोनों के बंटवारे से पूर्व उत्पन्न होने वाले माध्यस्थम संबंधी मामलों के निपटान के संबंध में नीति जारी करने के बाद नए जोनों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पहले से अंतरित भाग के माध्यस्थम संबंधी मामलों से निपटने में होने वाली विभिन्न समस्याओं का उल्लेख करते हुए, मूल/पुराने जोनों से कई पत्र प्राप्त हुए हैं.

इस मामले की अब पुनरीक्षा की गई है और बोर्ड (सदस्य इंजीनियरी) ने अब यह विनिश्चय किया है कि ऐसे मामले जिनमें मूल जोनों द्वारा मध्यस्थ नियुक्त किए गए हैं और जिन्होंने कम से कम एक सुनवाई की है, पर मूल जोन द्वारा कार्रवाई की जाएगी. अन्य मामले आगे निपटान के लिए नए जोनों में अंतरित माने जाएंगे. ये अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे.

कृपया इस पत्र की पावती दें.

प्रमोद कुमार
(प्रमोद कुमार)
कार्यपालक निदेशक, सिविल इंजी (सा.)
रेलवे बोर्ड.